



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
IN THE FIELD OF TOURISM
COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALTA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA**

The Memorandum of Understanding is made between the Government of the Republic of Malta represented by the Ministry for Tourism and the Government of the Republic of India represented by the Ministry of Tourism where both are hereinafter referred to as 'The Parties'.

Desiring to further strengthen the existing friendly relations and close cooperation between the two countries and their peoples based on the principle of sovereignty, national independence, equality and mutual benefit.

Recognizing the importance of tourism as a factor of sustainable development as stated in the Global Code of Ethics promulgated by the World Tourism Organization, a universal charter that shall be enforced in tourism industry.

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries:

Have reached to the following understanding:

**ARTICLE 1
Objective**

The objective of the Memorandum of Understanding aims is to:

- a. Encourage the quality destination of the tourism industry in both countries.
- b. Increase tourist arrivals in both countries from the entire world through the territories of the Republic of Malta and/or through the Republic of India.
- c. Promote human resource development in tourism and travel related industries in both countries.

d. Contribute to a new tourism offer, particularly through the promotion of natural and tangible and intangible cultural heritage, the development of sustainable tourism and the use of information technologies.

e. Recognize that tourism is a means to foster relationship between peoples of the two countries.

ARTICLE 2

Areas of Cooperation

The Parties shall endeavour to promote cooperation in tourism in the following areas:

a. Tourism Administrations and Management

The cooperation shall allow an exchange of experiences in tourism administration and management and on related legal matters.

b. Human Resources Development

The cooperation shall be undertaken in all fields related to human resources development in tourism.

c. Product Development

The cooperation shall be undertaken through the exchange of experiences in order to provide a new tourism offer, in compliance with the national tourism development schemes and based on natural and cultural heritage tangible and intangible cultural heritage, leading to sustainable development.

d. Tourism Marketing

Cooperation in tourism marketing activities – such as tourism promotion, tourist information and results of market research in the two countries– shall be further encouraged and strengthened through a multimedia information system (tangible and intangible heritage, accommodations, activities and new technologies) in a regional approach.

e. Private Sector Cooperation

The cooperation in the areas of trade and investment in tourism, travel related services as well as tourist education and training programs between the respective private sectors of both countries shall be further encouraged and strengthened.

f. Any other areas of cooperation as mutually agreed.

ARTICLE 3

Executing Agencies

The Ministry for Tourism of the Republic of Malta and the Ministry of Tourism of the Republic of India shall act as the Government implementing agencies of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4

Implementation

- a. Activities described in this Memorandum of Understanding may be implemented through specific arrangements, programs or projects to be agreed upon between the appropriate institutions or organizations of the Parties. Such arrangements, programs or projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details related to specific undertakings implemented within the framework of this Memorandum of Understanding.
- b. To implement this Memorandum of Understanding, the Parties shall establish a contact officer in its executing agency. These contact officers will report to the Minister of Tourism of the Indian side, and to the Minister for Tourism of the Maltese side.
- c. The contact officers shall set down plans of action within the framework of the 5 - year period according to the Memorandum of Understanding and recommend programs of cooperation to the executing agencies.
- d. The Minister of Tourism of the Republic of India and the Minister for Tourism of the Republic of Malta shall exchange visits during the implementation of this memorandum.
- e. The parties wills strive to mobilize available funds from their respective resources to finance cooperative action, notably in professional training: plans of action and programs of cooperation will be submitted annually to their respective embassies.
- f. Both parties will promote investment projects in their respective countries in the fields of tourism and encourage their respective established tourism private companies to join cooperative actions in the spirit of this memorandum.

ARTICLE 5

Joint Working Group

Within the framework of this Memorandum of Understanding in order to exchange views and draw a road map for enhancing cooperation, the Participants will constitute a Joint Working Group which will include an equal number of members of each Participant.

The Joint Working Group will conduct periodical meetings preferably once in every two years in turn on pre-specified dates mutually agreed between the Participants. The Participants may invite representatives from tourism and hospitality sector to attend these meetings.

For Joint Working Group Meetings, the sending Party shall bear all expenses on delegation's travel, boarding and lodging. All expenses for organizing the meeting shall be borne by the hosting country.

ARTICLE 6

Protection of Intellectual Property

Any result of activities under the framework of this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of the intellectual property and its neighbouring rights in the respective territories of the Parties, and the international agreements to which both countries are Parties.

**ARTICLE 7
Amendment**

Either Party may request in writing an amendment or a modification of any part of this Memorandum of Understanding. Any amendment or modification agreed by both Parties shall be considered as an integral part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force on a date determined by both Parties.

**ARTICLE 8
Settlement of Disputes**

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

**ARTICLE 9
Entry into Force, Duration and Termination**

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.


This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of five years and shall be automatically renewed for another five years, unless either party terminates it by giving written notification through diplomatic channel. At least six months prior to its expiration.

The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any ongoing program or project implemented under this Memorandum of Understanding.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Valletta on this 17 September day of 2018 in the year 2018 in two originals each in the English and Hindi languages all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Ministry for Tourism
of the Republic of Malta**



**Mr. Ronald Mizzi
Permanent Secretary**

**For the Ministry of Tourism
of the Republic of India**



**H.E. Mr. Rajesh Vaishnav
High Commissioner
of the Republic of India**



**माल्टा गणराज्य की सरकार
और
भारत गणराज्य की सरकार
के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में
समझौता-ज्ञापन**

यह समझौता ज्ञापन पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में माल्टा गणराज्य की सरकार और पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में भारत गणराज्य की सरकार जिन्हें एतदपश्चात् पक्षकार कहा गया है, के बीच किया गया है

संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत के आधार पर दोनों देशों और उनके नागरिकों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों और निकट सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने की इच्छा से

विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पारित वैश्विक आचार संहिता जो पर्यटन उद्योग में लागू होने वाला सार्वभौमिक पत्र है, में किए गए उल्लेख के अनुसार सतत विकास के एक तथ्य के रूप में पर्यटन के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए

अपने-अपने देशों में लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में :

निम्नलिखित समझ में पहुंच गए हैं:

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं :

क. दोनों देशों में पर्यटन उद्योग के गुणवत्ता गंतव्य को बढ़ावा देना ।

ख. भारत गणराज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से और /अथवा माल्टा गणराज्य के माध्यम से पूरे विश्व भर से दोनों देशों में पर्यटक आगमनों को बढ़ावा देना ।

ग. दोनों देशों में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी उद्योगों में मानव संसाधन विकास का संवर्धन करना।

घ. प्राकृतिक और अमूर्त एवं अपूर्व सांस्कृतिक विरासत, सतत पर्यटन का विकास तथा सूचना औद्योगिकी का उपयोग के संवर्धन के माध्यम से विशेष रूप से प्रस्तुत नए पर्यटन के लिए योगदान देना है ।

ड. पहचान करना कि पर्यटन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का माध्यम है ।

अनुच्छेद 2 सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में पर्यटन के सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे :

क. पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन

इस सहयोग के तहत पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन तथा संबंधित विधिक मामलों से जुड़े अनुभवों के आदान-प्रदान की अनुमति होगी ।

ख. मानव संसाधन विकास

पर्यटन में मानव संसाधन विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा ।

ग. उत्पाद विकास

राष्ट्रीय पर्यटन विकास योजनाओं के अनुपालन में और प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत तथा अमूर्त एवं मूर्त सांस्कृतिक विरासत के आधार पर एक नए प्रकार के पर्यटन की पेशकश के लिए अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग किया जाएगा जिससे संधारणीय विकास होगा ।

घ. पर्यटन विपणन

पर्यटन विपणन कार्यक्रमों में सहयोग – जैसे पर्यटन संवर्धन, दोनों देशों में पर्यटक सूचना बाजार अनुसंधान में परिणामों के आदान-प्रदान को क्षेत्रीय पद्धति से मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली (अमूर्त तथा मूर्त विरासत, आवास, कार्यक्रम तथा नई प्रौद्योगिकियां) के जरिए और अधिक प्रोत्साहित और सुदृढ़ किया जाएगा

ड. निजी क्षेत्र का सहयोग

दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच पर्यटन में व्यापार एवं निवेश के क्षेत्रों में, यात्रा संबंधी सेवाओं के साथ-साथ पर्यटक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसे सुदृढ़ बनाया जाएगा ।

च. परस्पर सहमति से सहयोग के कोई भी अन्य क्षेत्र ।

अनुच्छेद 3 कार्यकारी एजेंसियां

माल्टा गणराज्य का पर्यटन मंत्रालय तथा भारत गणराज्य का पर्यटन मंत्रालय इस समझौता ज्ञापन की कार्यान्वयन सरकारी एजेंसियों के रूप में करेंगे ।

अनुच्छेद 4 कार्यान्वयन

क. इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्यक्रमों दोनों पक्षकारों के उपयुक्त संस्थानों अथवा संगठनों के बीच परस्पर सहमति से निश्चित विशिष्ट व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे । ऐसी व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्यों, वित्तीय व्यवस्थाओं तथा इस समझौता ज्ञापन के कार्य ढांचे के भीतर कार्यान्वित विशिष्ट गतिविधियों से संबंधित अन्य ब्यौरों का उल्लेख होना चाहिए ।

ख. इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए पक्षकार अपनी कार्यकारी एजेंसी में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करेंगे । यह संपर्क अधिकारी माल्टा पक्ष के पर्यटन मंत्री को तथा भारतीय पक्ष के पर्यटन मंत्री को रिपोर्ट करेंगे ।

ग. यह संपर्क अधिकारी समझौता ज्ञापन के अनुसार 5 वर्ष की अवधि में कार्य योजनाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यकारी एजेंसियों को सहयोग संबंधी कार्यक्रमों की सिफारिश करेंगे।

घ. माल्टा गणराज्य के पर्यटन मंत्री तथा भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्री इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान एक-दूसरे के देश की यात्रा करेंगे।

ड. दोनों पक्षकार सहयोगात्मक कार्यों के वित्तपोषण के लिए अपने-अपने संसाधनों से निधियां जुटाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण में कार्ययोजनाएं तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम अपने-अपने दूतावासों को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।

च. दोनों पक्षकार पर्यटन के क्षेत्र में अपने-अपने देशों में निवेश परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे और अपने सुस्थापित निजी पर्यटन कम्पनियों को इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोगात्मक कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 5

संयुक्त कार्यकारी समूह

इस समझौता ज्ञापन के कार्यद्वारा के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विचारों के आदान-प्रदान तथा एक रोडमैप तैयार करने के लिए दोनों पक्षकार एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन करेंगे जिसमें प्रत्येक पक्षकार के सदस्य समान संख्या में शामिल होंगे।

यह संयुक्त कार्यकारी समूह अधिमानतः प्रत्येक दो वर्ष में एक बार दोनों देशों में बारी-बारी से दोनों पक्षकारों की परस्पर सहमति से पूर्वनिर्धारित तारीख को आवधिक बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों में भाग लेने के लिए पक्षकार पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र से प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों के लिए भेजने वाला पक्षकार प्रतिनिधि मंडल की यात्रा, आवास और भोजन से संबंधित सभी व्ययों का वहन करेगा। बैठक के आयोजन के समग्र व्यय का वहन मेजबान देश द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

बौद्धिक संपदा का संरक्षण

इस समझौता ज्ञापन के कार्यद्वारा के तहत किए गए कार्यकलापों के परिणाम बौद्धिक संपदा के संरक्षण से सम्बन्धित नियमों तथा विनियमों और पक्षकारों के अपने-अपने भू-भागों में पड़ोसी अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय करारों जिनमें दोनों देश भागीदार हों, के अधधीन होंगे।

अनुच्छेद 7

संशोधन

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन के किसी भाग में किसी संशोधन या बदलाव का अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों की परस्पर सहमति से हुए किसी संशोधन अथवा बदलाव को इस समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग माना जाएगा। ऐसे संशोधन अथवा बदलाव दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 8

विवाद निपटान

पक्षकारों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद को परामर्श और बातचीत से माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 9

प्रभावकारिता, अवधि और समापन

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा।

यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और अगले 5 वर्ष के लिए यह स्वतः ही नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि कम से कम छः (6) माह की पूर्व अधिसूचना देकर दोनों में से कोई एक पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से समझौता ज्ञापन को समाप्त करने की इच्छा न व्यक्त करे।


इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने से इसके तहत जारी कार्यक्रम या कार्यान्वित परियोजना भी वैधता तथा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मॉल्डा में दिनांक 17 सितम्बर 2018 को हिन्दी एवं अंग्रेजी की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणित हैं। अर्थ में किसी प्रकार के अंतर होने के मामले में अंग्रेजी का पाठ ही मान्य होगा।

पर्यटन मंत्रालय

मॉल्डा गणराज्य के लिए



रोनाल्ड मित्ज़ि
परमानेंट सेक्रेटरी
मॉल्डा गणराज्य के लिए

पर्यटन मंत्रालय

भारत गणराज्य के लिए



राजेश वैष्णव
भारत के उच्चायुक्त
भारत गणराज्य के लिए